न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश राव (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः—18/2023
जीसीएमएस नं.—2023/28

गुरचरणसिंह पुत्र काकासिंह जाति रामदासिया निवासी चक 2 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

———————**वादी**

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——————**प्रतिवादी**

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित—

1. श्री हंसराज डाल एडवोकेट वादी की ओर से
2. राज पैरोकार प्रतिवादी की ओर से

—:: निर्णय ::— दिनांकः—27/03/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि वाके चक 2 पीजीएम तहसील अनूपगढ का पत्थर सं.—277/453 का किला नं.—2/1, 2/2, 3/1, 3/3. 4/2, 4/3, 5/1. 5/2, 6/2, 7/1, 8, 13, 14, 15/1, 16/2, 17. 25/1 हैक्टर कृषि भूमि सयुक्त रूप से दर्ज है जिसमे से 1/6 हिस्सा वादी के नाम चरणसिंह पुत्र काकासिंह जाति रामदासिया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न है। वादी का सही व वास्तविक नाम गुरचरणसिंह पुत्र श्री काकासिंह है लेकिन वादी का घरेलु नाम चरणसिंह होने के कारण वादी को घर व रिश्तेदारी मे दोनो नामो चरणसिंह व गुरचरणसिंह के नाम से जानते व पुकारते थे। वादी यहां यह स्पष्ट करना उचित समझता है कि उक्त कृषि भूमि वादी को विरास्तन प्राप्त हुई थी। विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय वादी का घरेलु नाम, चरणसिंह ही दर्ज कर दिया गया था जो एक सद्भाविक एवं मानवीय भूल है। वादी व वादी का परिवार ग्रामिण परिवेश का है। वादी भी ग्रामिण परिवेश का होने का काश्तकार पेशा व्यक्ति है। दादी का सही नाम गुरचरणसिंह पुत्र श्री काकासिंह है तथा वादी का निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि जिनकी प्रतिया सलग्न है, में वादी का नाम गुरचरणसिंह पुत्र श्री काकासिंह दर्ज है लेकिन वादी के घर में वादी को उसके घरेलु नाम चरणसिंह के नाम से पुकारते थे इसलिए विरास्तन इंतकाल दर्ज करवाते समय चादी का घरेलु नाम चरणसिंह ही दर्ज करवा दिया गया था जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम गुरचरणसिंह है। इस प्रकार चरणसिंह व गुरचरणसिंह वादी के ही नाम है तथा वादी को इन दोनों नागो से जाना व पुकारा जाता है। वादी जो कि ग्रामिण परिवेश का व्यक्ति है [illegible] कतई ज्ञान नहीं था। अब वादी उक्त कृषि भूमि पर त्रुटि सुविधा की पत्रावली तै[illegible] के संबंध में अरसा 3 दिन पूर्व पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी [illegible] बताया कि आपका यानि गुरचरणसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है बल्कि [illegible] नाम राजस्व रिकार्ड में चरणसिंह पुत्र काकासिंह दर्ज है। जिस पर वादी ने पटवारी [illegible] को बताया कि उसका नाम गुरचरणसिंह है और घर पर उसे उसके घरेलु नाम चरणसिंह के नाम से बुलाते है और चरणसिंह व गुरचरणसिंह दोनो नाम मेरे ही है तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिए माननीय अदालत में चाराजोही करने के लिए कहा। जिस पर वादी तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 16:42:44 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होंने कहा कि सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। वादी का सही व वास्तविक नाम गुरचरणसिंह पुत्र श्री काकासिंह है लेकिन सहवन से वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे उसके घरेलु नाम चरणसिंह दर्ज हो गया है जो कि एक सद्भाविक व मानवीय भूल है। भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेज में नाम अलग–2 होने के कारण वादी को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत रूप से चरणसिंह दर्ज है और आवश्यक दस्तावेजात जैसे निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता व अन्य दस्तावेजात मे वादी का नाम गुरचरणसिंह पुत्र श्री काकासिंह दर्ज है। जिससे वादी को भविष्य मे उक्त कृषि भूमि के संबंध में बैंक इत्यादी से लोनं आदि लेने में वादी को काफी दिक्कत व परेशानीयो का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भी न्यायहित में राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत दर्ज हुऐ नाम को दुरूस्त किया जाकर सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में वादी को दो अलग–2 नाम दर्ज होने से किसी प्रकार की परेशानीयो का सामना ना करना पड़े और वादी अपने सही वा वास्तविक नाम गुरचरणसिंह के नाम से ही अपनी उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर सके। इसलिए वादी को माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी एवं दावेदार है। अतः कृषि भूमि वाके चक 2 पीजीएम तहसील अनूपगढ का पत्थर सं.–277/453 का किला नं–2/1, 2/2, 3/1, 3/3, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 6/2, 7/1, 8, 13, 14, 15/1, 16/2, 17, 25/1 हैक्टर कृषि भूमि सयुक्त रूप से दर्ज है जिसमे से 1/3 हिस्सा जो चरणसिंह पुत्र श्री काकासिंह जाति रामदासिया के नाम से दर्ज है, के संबंध मे वादी के खातेदार अधिकार की घोषणा की जाकर इस कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादी गुरचरणसिंह पुत्र श्री काकासिंह के नाम की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाकर प्रतिवादी को वादी का नाम गुरचरणसिंह पुत्र श्री काकासिंह दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करे।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट, तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त की उक्त रकबा काकासिंह पुत्र कालासिंह के नाम दर्ज था काकासिंह की मृत्यु के बाद उक्त भूमि जरिए इन्तकाल सं.–414 विरासत्न दिनांक 15.06.2022 द्वारा सरजीतकौर बेवा काकासिंह, करनैलसिंह, गुडडी पुत्री काकासिंह, चरणसिंह, जगदीश, बलदेवसिंह जाति मजबीसिख दर्ज हुआ। इन्तकाल सं.–414 की हल्का पटवारी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। वादी का नाम विरासत इन्तकाल में चरणसिंह था तथा नामान्तरण के समय प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चरण सिंह पुत्र काका सिंह नाम दर्ज किया गया है। लेकिन वादी ने नामान्तरण को आज तक चुनौती नहीं दी है। नामान्तरण के समय प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चरण सिंह पुत्र काका सिंह नाम दर्ज किया गया है इसलिए वादी का वाद–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

–:: आदेश ::–

अतएव वादी का वाद पत्र अस्वीकार किया जाता है। नियमानुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

निर्णय आज **दिनांक** 27/03/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 15:42:44 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 में नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अनवान

ब इजलास **श्री सुरेश राव (आर.ए.एस.)**

गुरचरणसिंह **बनाम् सरकार**

दावा बाबत्–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं.–18 / 2023

जीसीएमएस नं.–2023 / 28

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू पक्षकारान बहाजरी वाद वादी प्रकरण के समस्त तथ्यों एंव परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए अस्वीकार किया जाता है। तदनानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज **दिनांक** 27/03/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .....रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका का तामील	रुपया	1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .....रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका का तामील	रुपया
जोड़		**जोड़**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 16:42:44 IST
Reason: SelfAttested